



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062020-220176  
CG-DL-E-26062020-220176

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1826]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2020/आषाढ़ 4, 1942

No. 1826]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2020/ASADHA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

**का.आ. 2063(अ).—**यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 465 (अ) दिनांक 26.04.2002 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 0.000 किमी से 231.600 किमी (मदुरै से कन्याकुमारी) तक के खंड को तमिलनाडु राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा यांत्रिक वाहनों पर खण्डों के उपयोग के लिए शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण को निम्नानुसार प्राधिकृत किया:

अधिसूचना संख्या का. आ. 2009 (ई), दिनांक 18 मई, 2018 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के 0.000 कि.मी. से 231.600 कि.मी. तक के सेक्शन के लिए (नया चेनेज 0.000 किमी से 243.170 किमी)।

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -7 के 116.500 किमी से 180.000

किमी तक (लंबाई 63.500 किमी) के मदुरै से कन्याकुमारी सेक्शन तक (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त सेक्शन' कहा गया है) के टोलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (टीओटी विधि) हेतु 11.11.2019 को प्रस्तुत बोली के लिए दिनांक 27.12.2019 को मैसर्स सालईपुथुर से मदुरै टोलवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वां तल, ओएसई कमर्शियल ब्लॉक, होटल अलोफ्ट, असेट न. 5बी, ऐरोसिटी आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली -110037, (जिसे इसमें इसके पश्चात 'रियायतग्राही' कहा गया है) के साथ करार किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 [सा.का.नि. 838 (ई), तारीख 5.12.2008] के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 [सा.का.नि. 838 (ई), तारीख 5.12.2008] और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010[सा.का.नि.950(ई), तारीख 3.12.2010], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2011[सा.का.नि.15 (ई), तारीख 12.1.2011] राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2011[सा.का.नि. 756 (ई), तारीख 12. 10.2011], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013[सा.का.नि. 778 (ई), तारीख 16.12.2013], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 26 (ई), तारीख 16.01.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 831 (ई), तारीख 21.11.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 02(ई), तारीख 29.12.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 [सा.का.नि. 220 (ई), तारीख 23.03.2015], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 585 (ई), तारीख 08.06.2016], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 1114(ई), तारीख 02.12.2016] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2017 [सा.का.नि. 248(ई), तारीख 14.03.2017] और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 920(ई), तारीख 25.09.2018] के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बोली की अंतिम तारीख तक किसी अन्य संशोधनों और अधिसूचना का.आ.2009 (ई) तारीख 18 मई, 2018 का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कर ली गई हैं या करने से लोप करा दी गई हैं, उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर व्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों पर, सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 49.913 कि.मी. [जिसमें 39.343 कि.मी. की सड़क और 1057 मीटर की सरचनाएं शामिल है (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और जिसकी समकक्ष लम्बाई 10.57 .मी. है] हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है), चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्धृत किया जाएगा और नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट वाहनों पर बाईपास के लिए जिसकी लंबाई 23.10 किमी है , सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट बेस रेट पर डेढ़ गुना (60 मीटर से अधिक वाली संरचना को छोड़कर) शुल्क उद्धृत किया जाएगा उक्त रियायतग्राही को कार्यारंभ करने की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है। यह शुल्क अधिसूचना टीओटी परियोजना पर कार्यारंभ करने की तारीख से प्रभावी होगी:-

## सारणी 1

| वाहन का प्रकार                                                                                                     | आधार वर्ष 2007-08 के लिए चार अथवा अधिक लेनों के द्वारा खण्डों के लिए प्रति कि.मी.* शुल्क की आधार दर (रूपए में) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                | (2)                                                                                                            |
| कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन                                                                                   | 0.65                                                                                                           |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस                                                             | 1.05                                                                                                           |
| बस या ट्रक (दो धुरी वाले)                                                                                          | 2.20                                                                                                           |
| तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन                                                                                       | 2.40                                                                                                           |
| भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले) | 3.45                                                                                                           |
| बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले )                                                                        | 4.20                                                                                                           |

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

| शुल्क प्लाजा का अवस्थान                                     | लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है   | दर जिस पर शुल्क संदेय है                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| तूतीकोरिन जिले में सालईपुथुर गांव के निकट 125.350 कि.मी. पर | 39.343 (0.345 किमी की लंबाई की संरचना को छोड़कर) | ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% |

- 2 उपरोक्त के अलावा 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाईपास के उपयोग के लिए निर्दिष्ट बाईपास की लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (ओं) पर और तालिका 1 में उल्लिखित बेस दर से डेढ़ गुना पर निम्नलिखित शुल्क देय होगा तथा उसका भुगतान करना होगा :

| शुल्क प्लाजा का अवस्थान                                     | चैनेज सहित शुल्क प्लाजा का नाम | शुल्क प्लाजा की लम्बाई जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है (किमी में) | दर जिस पर शुल्क संदेय है                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| तूतीकोरिन जिले में सालईपुथुर गांव के निकट 125.350 कि.मी. पर | कायाथार बाइपास                 | 3.41<br>(0.292 किमी की लंबाई की संरचना को छोड़कर)                 | ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150% |
|                                                             | तिरुनेलवेली बाइपास             | 19.69 (0.42 किमी की लंबाई की संरचना को छोड़कर)                    |                                             |
|                                                             | कुल                            | 23.100                                                            |                                             |

- 3 3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

| शुल्क प्लाजा का अवस्थान                                     | सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित संरचना की लम्बाई * (किमी में) | समकक्ष सड़क लम्बाई (किमी) | दर जिस पर शुल्क संदेय है                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| तूतीकोरिन जिले में सालईपुथुर गांव के निकट 125.350 कि.मी. पर | 1.057                                                          | 10.57                     | ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% |

संरचनाओं का विवरण (>60 मीटर ) निम्नानुसार है :

| क्रम सं. | संरचना का अवस्थान (चैनेज) | संरचना का नाम | लम्बाई (मी.)    |
|----------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 1        | 127+850                   | बड़ा पुल      | 102.00          |
| 2        | 130+100                   | बड़ा पुल      | 190.30          |
| 3        | 131+600                   | बड़ा पुल      | 93.50           |
| 4        | 139+450                   | बड़ा पुल      | 180.00          |
| 5        | 153+800                   | बड़ा पुल      | 220.00          |
| 6        | 159+400                   | फ्लाईओवर      | 200.00          |
| 7        | 179+380                   | आरओबी         | 70.9            |
|          |                           | <b>कुल</b>    | <b>1056.700</b> |

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00/- रूपए (दो सौ पचहत्तर रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

| संदेय राशि                                                       | अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या | विधिमान्यता की अवधि        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना                          | दो                                        | संदाय के समय से चौबीस घंटे |
| पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई | पचास या अधिक                              | संदाय की तारीख से एक मास   |

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को रारा शुल्क नियम 2008 के नियम 10 के उप नियम (1ए) के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया

जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा, परंतु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार की गई वृद्धि की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/650/सीओ/19-20 /जीसी मदुरै-कन्याकुमारी(116.500 किमी से 180.000 किमी) सेक्शन टीओटी]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

**S.O. 2063(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E) dated 26.04.2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to km 231.600 (Madurai to Kanyakumari Section) of National Highway No. 7 in the State of Tamilnadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

Vide S.O.No. 2009(E) dated 18<sup>th</sup> May, 2018 for the section from km 0.000 to km 231.600 (New Chainage 0.000 to km 243.170) of NH- 7 in the State of Tamilnadu.

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Salaipudhur-Madurai Tollway Limited, having its registered office at 5th Floor, OSE Commercial Block, Hotel Aloft, Asset No. 5B, Aerocity IGI Airport, New Delhi, South West Delhi -110037, (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), on 27.12.2019 for the bid submitted on 11.11.2019 for the Tolling, Operation, Maintenance and Transfer (ToT mode) of Madurai to Kanyakumari Section from Km 116.500 to Km 180.000 (length 63.500 Km) of NH-7 in the state of Tamilnadu (hereinafter referred to as the said section) of the National Highway;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 [GSR 838 (E) dt. 05.12.2008] read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 [GSR 950(E) 03.12.2010], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 [GSR 15(E) 12.01.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011 [GSR 756 (E) 12.10.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013 [GSR 778(E) 16.12.2013], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 26(E) 16.01.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 831(E) 21.11.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 02(E) 29.12.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2015 [GSR 220(E) 23.03.2015], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 585(E) 08.06.2016], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 1114(E) 02.12.2016], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2017 [GSR 248(E) 14.03.2017] and The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 920(E) 25.09.2018] and any other amendments till bid due date and in supersession of the Notification Number S.O. No. 2009(E) dated 18<sup>th</sup> May, 2018 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for total equivalent road length of 49.913 km [including 39.343 km road and 1057 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 10.57 km] for use of four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) and at one and one half times the base rate specified in columns (2) of the Table 1 for bypasses having length of 23.10 km (excluding structure length having more than 60 m) on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Appointed Date or publication of this Notification in the Official Gazette,

whichever is later, till the date of termination as specified in the agreement. This fee notification shall be effective from the Appointed Date of the ToT project.

**TABLE 1**

| Type of vehicle                                                                                                    | Base rate of fee per km* for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                | (2)                                                                                                 |
| Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle                                                                              | 0.65                                                                                                |
| Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus                                                          | 1.05                                                                                                |
| Bus or Truck ( Two Axles)                                                                                          | 2.20                                                                                                |
| Three-axle commercial vehicles                                                                                     | 2.40                                                                                                |
| Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles) | 3.45                                                                                                |
| Oversized Vehicles (seven or more axles)                                                                           | 4.20                                                                                                |

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza(s) for the distance specified for such Fee Plaza(s):

| Location of Fee Plaza                                        | Length (in km) for which Fee is payable        | Rate at which Fee is payable                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| At Km 125.350 near Salaipudhur village in Tuticorin district | 39.343 (excluding structure length of 0.345km) | 100% of the base rates mentioned in Table-1 above |

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Fee Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Fee Plaza(s):

| Location of Fee Plaza                                        | Name of Bypass with chainage | Length of Bypass (in km) for which additional fee is payable | Rate at which Fee is payable                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| At Km 125.350 near Salaipudhur village in Tuticorin district | Kayathar Bypass              | 3.41 (excluding structure length of 0.292 km)                | 150% of the base rates mentioned in Table-1 above |
|                                                              | Tirunlveli Bypass            | 19.69(excluding structure length of 0.42 km)                 |                                                   |
|                                                              | <b>Total</b>                 | <b>23.100</b>                                                |                                                   |

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

| Location of Fee Plaza                                        | Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length | Equivalent road length (in km) | Rate at which Fee is payable                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| At Km 125.350 near Salaipudhur village in Tuticorin district | 1.057                                                                     | 10.57                          | 100% of the base rates mentioned in Table-1 above |

The details of structures (> 60 m length) are as under:

| Sr. No. | Location of Structure (Chainage) | Name of the Structure | Length (m) |
|---------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| 1       | 127+850                          | Major Bridge          | 102.00     |

|   |         |              |                 |
|---|---------|--------------|-----------------|
| 2 | 130+100 | Major Bridge | 190.30          |
| 3 | 131+600 | Major Bridge | 93.50           |
| 4 | 139+450 | Major Bridge | 180.00          |
| 5 | 153+800 | Major Bridge | 220.00          |
| 6 | 159+400 | Flyover      | 200.00          |
| 7 | 179+380 | ROB          | 70.9            |
|   |         | <b>Total</b> | <b>1056.700</b> |

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy Five only) for the year 2020-21 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely :

| Amount Payable                                                           | Maximum number of one way journeys allowed | Period of validity                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| One and half times of the fee for one way journey                        | Two                                        | Twenty four hours from the time of payment |
| Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys | Fifty or more                              | One month from date of payment             |

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, as per Rule 10 (1A) of NH Fee Rule 2008 and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/13013/650/CO/19-20/GC Madurai-Kanyakumari (km 116.500 to km 180.000) Section TOT]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.